सं. 1/12/2014-जीवनांक (सीआरएस) / 890-1011
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
वी.एस.डिवीजन, पश्चिमी खण्ड-I, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066
V.S. Division, West Block –I, R.K. Puram, New Delhi – 110066
टेली/फैक्स नं./*Tele-fax.No.26104012* E-mail – drg-crs.rgi@censusindia.gov.in

दिनांक 01.12.2015

परिपत्र

विषय :- चिकित्सा संस्थानों द्वारा जारी किए जा रहे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण ।

जैसा कि आपको विदित है कि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 8 (1) (ख) के अंतर्गत यह स्पष्ट उल्लेख है कि जन्म मृत्यु की ऐसी घटनाएं जो कि सरकारी चिकित्सालय (यदि पंजीकरण इकाई नहीं है), निजी चिकित्सालय एवं नर्सिंग होम आदि में हुई हों, उनकी सूचना संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को देने का दायित्व उस चिकित्सा संस्थान के इंचार्ज का होता है । सूचना देने हेतु उन चिकित्सा संस्थानों को जन्म, मृत जन्म एवं मृत्यु की सूचना प्रपत्र दिए जाते हैं जिसमें वांछित सूचना भरकर रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को पंजीकरण (रजिस्ट्रीकरण) हेतु ससमय दी जानी होती है । उक्त घटना के पंजीकरण के पश्चात रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) द्वारा जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र संख्या क्रमश: 5 व 6 में जारी किया जाता है ।

2. इस संदर्भ में प्राय: ऐसा देखा जा रहा है कि कई चिकित्सा संस्थान विशेषकर निजी चिकित्सा संस्थान ससमय उनके संस्थान में घटित होने वाली जन्म-मृत्यु की घटना को रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को रिपोर्ट नहीं करते हैं एवं संबंधित परिवार को अस्पताल छोड़ते समय एक अनौपचारिक प्रमाण पत्र जिस पर जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र लिखा होता है, जारी कर देते हैं जो कि कानूनी रूप से वैध प्रमाण पत्र नहीं होता है, तथा संबंधित व्यक्ति इसे ही विधिक जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र मान लेता है । जनता औपचारिक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जो कि रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाता है, उसे निर्धारित समय सीमा में एकत्र नहीं कर पाती, जिससे कुछ वर्षों उपरान्त उन्हें उस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ।

3. ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि चिकित्सा संस्थानों विशेषकर निजी संस्थानों को इस तरह के आदेश जारी किए जाए कि उनके परिसीमन में घटित हुए समस्त जन्म एवं मृत्यु की घटना की सूचना संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को ससमय भेजना सुनिश्चित करें एवं ऐसा कोई प्रमाण पत्र जनता को जारी न करें जिस पर "जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र" अंकित हो तथा दुविधा की

Central Diary
9/12/15
O/C

स्थिति उत्पन्न हो । अपितु उन्हें एक ऐसी स्लिप जारी करें जिसमें जन्म मृत्यु की घटना के बारे में दर्शाया गया हो (Declaration of birth/death report) । इस संबंध में आपका ध्यान जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जहां कि जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण जारी करने का अधिकार केवल रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को दिया गया है जो कि निर्धारित प्रपत्र में अधिनियम की धारा 12 व 17 में जारी किए जाते हैं ।

4. उपरोक्त संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि आम नागरिक को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए संबंधित रजिस्ट्रार से संपर्क करने के लिए कहें । इस संबंध में यह निर्देश जारी किया जाए कि "प्रत्येक निजी चिकित्सीय संस्थान एवं सरकारी संस्थान (जो पंजीकरण इकाई नहीं है) अपने सूचना पट्ट (Notice Board) पर यह सूचना मुद्रित कराए कि इस संस्थान < संस्थान का नाम > में घटित होने वाले समस्त जन्म व मृत्यु की घटना की सूचना रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) कार्यालय < पंजीकरण इकाई का नाम > को भेज दी गई है" तथा आप सभी से यह अनुरोध किया जाता है कि रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) कार्यालय से जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कृपा करें ।

5. इस कार्यालय को इस दिशा में उठाए गए कदमों से शीघ्र ही अवगत कराएं ।

(आर.के.गौतम)
उप महारजिस्ट्रार

सेवा में,

1. अपर महानिदेशक (सांख्यिकी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
2. मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को इस अनुरोध के साथ कि अपने राज्य के समस्त चिकित्सा संस्थानों में इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएं ।
3. महानिदेशक/निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं को इस अनुरोध के साथ कि सभी सरकारी/प्राइवेट अस्पतालों में इसका अनुपालन सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें ।
4. समस्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) सह जिलाधिकारी को इस अनुरोध के साथ कि सभी चिकित्सालयों में उपरोक्त परिपत्र का अनुपालन करवाने का श्रम करें ।
5. संयुक्त/उप निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय

O/C